छत्तीसगढ़ भू–संपदा विनियामक प्राधिकरण (रेरा)
शास्त्री चौक, रायपुर (छ.ग.) – 492001
दूरभाष नंबर :– 0771–4918927
Email: - office.rera.cg@gov.in Website:https://rera.cgstate.gov.in/

// प्रेस विज्ञप्ति, दिनांक – 04.06.2026 //

कॉमन एरिया हस्तांतरण में लापरवाही पर CGRERA सख्त, 989 परियोजनाओं के 595 प्रवर्तकों को नोटिस–

छत्तीसगढ़ रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण (CGRERA) द्वारा भू संपदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 2016 के प्रभावी कियान्वयन तथा आबंटितियों के हितों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कार्यवाही की गई है। प्राधिकरण द्वारा रेरा लागू होने के पश्चात् पूर्ण हो चुकी परियोजनाओं की समीक्षा उपरांत कुल 595 प्रमोटर्स के 989 प्रोजेक्ट्स को नोटिस जारी किए गए। 989 ऐसे प्रोजेक्ट्स है जिनका पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त हो चुका है पर प्रमोटर द्वारा इनका हस्तांतरण आबंटितियों की सोसायटी/एसोसिएशन को नहीं किया गया है।

उक्त नोटिस उन मामलों में जारी किए गए है जहां प्रोजेक्ट पूर्णता/अधिभोग उपरांत भी प्रमोटर्स द्वारा आबंटितियों की सोसायटी/एसोसिएशन का गठन सुनिश्चित नहीं किया गया अथवा परियोजना के कॉमन एरिया, सुविधाओं एवं संबंधित दस्तावेजों का हस्तांतरण सोसायटी/एसोसिएशन को नहीं किया गया है।

प्राधिकरण ने यह कार्यवाही भू संपदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 2016 की धारा 11(4)(e) एवं धारा 17 के प्रावधानों के अंतर्गत की है। अधिनियम के अनुसार प्रवर्तक का दायित्व है कि वह आबंटितियों की एसोसिएशन/सोसायटी का गठन सुनिश्चित करे तथा परियोजना के सामान्य क्षेत्रों, सुविधाओं एवं संबंधित अभिलेखों का विधिवत हस्तांतरण संबंधित संस्था को करें।

साथ ही, प्राधिकरण द्वारा यह भी स्पष्ट किया गया कि रेरा अधिनियम केवल प्रमोटर पर ही दायित्व निर्धारित नहीं करता, बल्कि आबंटितियों के लिए भी कुछ वैधानिक कर्तव्य निर्धारित गए हैं। भू संपदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 2016 की धारा 19(9) के अनुसार प्रत्येक आबंटी का यह दायित्व है कि वह आबंटितियों की एसोसिएशन/सोसायटी/सहकारी समिति अथवा उसके महासंघ के गठन में सहभागी बने।

CGRERA ने सभी आबंटितियों से अपील की है कि वे अपने वैधानिक अधिकारों के साथ–साथ अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित कर्तव्यों के प्रति भी जागरूक रहें तथा सोसायटी गठन एवं परियोजना प्रबंधन हस्तांतरण की प्रकिया में सकिय सहयोग प्रदान करें।

प्राधिकरण द्वारा जारी नोटिसों में संबंधित प्रवर्तकों को यह निर्देशित किया गया है कि वे 15 दिवस के भीतर यह स्पष्ट करें कि अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप अब तक

निर्धारित अवधि में जवाब प्रस्तुत नहीं किए जाने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त नहीं होने की स्थिति में संबंधित प्रमोटर्स के विरूद्ध भू संपदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 2016 के प्रावधानों के अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध कर विधिसम्मत कार्यवाही की जाएगी।

CGRERA ने कहा है कि रेरा का उद्देश्य केवल प्रोजेक्ट्स का पंजीयन करना नहीं, बल्कि प्रोजेक्ट पूर्णता के पश्चात् आबंटितियों के अधिकारों की रक्षा, पारदर्शिता, जवाबदेही तथा सुशासित रियल एस्टेट व्यवस्था सुनिश्चित करना भी है। कॉमन एरिया एवं परियोजना प्रबंधन का समयबद्ध हस्तांतरण उपभोक्ता हित संरक्षण की दिशा में अत्यंत महत्वपूर्ण कदम है।

रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (RERA)
अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें:
दूरभाष नंबर :– 0771–4918927
Email: - Website:https://rera.cgstate.gov.in/

(आस्था राजपूत)
रजिस्ट्रार
छत्तीसगढ़ भू–संपदा विनियामक प्राधि
रायपुर, छत्तीसगढ़